राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403. ई–मेल:–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:– www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

No.F.55( )CE/DLB/SBM/Sewer_Cleaning_2023/ 37110-37390 Date: 26/05/2023

1. जिला कलेक्टर, समस्त।
2. आयुक्त/ अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका
   समस्त, राजस्थान।
3. उप निदेशक (क्षैत्रीय),
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त।

विषय :– सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य आधुनिक मशीनो एवं सुरक्षा उपकरणो के साथ किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश ।

संदर्भ :– विभागीय परिपत्र दिनांक 14.10.2015, 30.08.2019, पत्रांक 31941 दिनांक 01.07.2020, 53465 दिनांक 24.11.2020, 8231 दिनांक 25.02.2022 एवं 35946–6203 दिनांक 17.05.2022, 13985–4225 दिनांक 14.02.2023, 20484–724 दिनांक 10.03.2023 एवं 28765–29005 दिनांक 31.03.2023 द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सीवर सफाई के दौरान नियमित सफाई, अनुरक्षण, अधिकतम यंत्रीकरण, निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रकिया एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ सेप्टिक टैंक और सीवर सफाई सुनिश्चित की जानी है, असुरक्षित सफाई करवाना कानूनी जुर्म है।

राज्य सरकार द्वारा सीवर सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य मशीनों व सुरक्षा उपकरणों से पूर्ण किये जाने के निर्देश प्रदान किये थे। जिसकी पालना में यंत्रीकरण एवं सुरक्षा उपकरणों के कय हेतु विभाग द्वारा सभी निकायों को पूर्व में प्रदान किये जा चुके है, "सीवर सफाई में माननीय उपयोग को निषेध" की पालना में राशि रू. 88.00 करोड़ की सीवर मशीने नगरीय निकायों को उपलब्ध करवायी गयी है, जिसमें सीवर सक्शन मशीन 2000 ली. क्षमता की 208 नग, सीवर सक्शन कम जैटिंग मशीन 4500 ली. क्षमता की 46 नग, सीवर सक्शन कम जैटिंग मशीन 8500 ली. क्षमता की 42 मशीन एवं सुपर सकर मशीन मय डम्प टैंक 07 नग कुल 303 मशीन मय सुरक्षा उपकरणों के विभिन्न निकायों को उपलब्ध करवाई गई है (लिस्ट संलग्न है), जिसका संचालन एवं संधारण (O&M) भी नगरीय निकायों द्वारा किया जाना है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अन्तर्गत 114 शहरों में जहां सीवरेज सुविधा नहीं हैं एवं वाटर सप्लाई लेवल 135 LPCD से कम है, में Faecal Sludge Treatment Plants (FSTPs) का निर्माण राशि रू. 800 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसमें 10 वर्ष तक प्लान्ट के संचालन एवं संधारण (O&M) का कार्य संवेदक द्वारा किया जावेगा। उक्त कार्य हेतु संवेदक द्वारा प्रत्येक नगरीय निकाय में 02 सीवर सक्शन मशीन उपलब्ध करवायी जा रही है, उक्त मशीनों के माध्यम घरो में बने सेप्टिक टैंक्स को खाली कर स्लज को प्लान्ट तक पहुचाया जावेगा एवं स्लज को ट्रीट किया जावेगा। उक्त कार्य की सुनिश्चितता भी आपके द्वारा की जानी है।

इसके अतिरिक्त सीवर के मेनहॉल/मशीन हॉल की सफाई का कार्य आधुनिक मशीन मय रोबोट द्वारा करवाये जाने हेतु नगर निगम, जयपुर ग्रेटर द्वारा 01 नग एवं नगर निगम, जयपुर हैरिटेज द्वारा 02 नग रोबोट कय किये गये है। उक्त की निरन्तरता में आरयूआईडीपी द्वारा 26 नगरीय निकायों हेतु 40 नग रोबोट कय किये जाने है, जिसके कम में 10 नग रोबोट का कार्यादेश जारी, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन किया जाकर सम्बन्धित नगरीय निकायों को उक्त रोबोट की आपूर्ति की जावेगी। इसके अतिरिक्त रूडसिको द्वारा 29 अमृत शहरो हेतु रोबोट की कार्यवाही प्रकियाधीन है। इसके अलावा जो

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

निकाय आरयूआईडीपी एवं रूडसिको में सम्मिलित नहीं है, उन 17 निकायों हेतु 21 रोबोट निदेशालय द्वारा कय किये जा रहे है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 303.00.0/2023–24 के अन्तर्गत विभिन्न निकायों हेतु सीवर सफाई कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा किये जाने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से थ्री–इन–वन (Rodding/Suction, Grabbing and Jetting Robot) मशीनें उपलब्ध जायेगी, जिस हेतु प्रकिया प्रारमभ कर दी गई है।

संवेदक के माध्यम से करवाये जाने की स्थिति में टेण्डर डाक्यूमेन्ट में यथा आवश्यक शर्त समाहित किये जाने हेतु नगरीय निकायों द्वारा सुनिश्चितता की जानी है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभागीय अधिसूचना दिनांक 01.02.2021 द्वारा Responsible Sanitation Authority (RSA) गठित की जा चुकी है, जिसके अनुसार सभी जिला कलेक्टर सेप्टिंक टैंक एवं सीवर सफाई का कार्य मशीनों एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ सुरक्षित रूप से करवाने के उत्तरदायी होंगे। इसी प्रकार विभागीय आदेश कमांक 7213 दिनांक 08.12.2021 के अनुसार निकायों में Response Sanitation Unit (RSU) गठित की जा चुकी है, जो सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई कार्य में मानवीय उपयोग निषेध मानते हुये यह कार्य आधुनिक मशीनों एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ करने हेतु व नियमित सफाई और अनुरक्षण, अधिकतम यांत्रिकरण, निर्धारित नियमों और मानक संचालन प्रकिया द्वारा किये जाने की सुनिश्चितता करेगी। नगरीय निकाय स्तर पर RSU नियमित बैठक का आयोजन कर जिला मुख्यालय की नगरीय निकाय द्वारा उस जिले की समस्त निकायों की बैठक सम्बन्धित RSA (जिला कलेक्टर) के यहां करवाकर उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने बाबत् पूर्व में निर्देश प्रदान किये गये है, जिनकी पालना में आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

आमजन एवं सफाई कर्मचारियों को जागरूक किये जाने के लिये सीवर लाईन सफाई, मशीन हॉल की सफाई, सेप्टिक टैंक सफाई एवं पिट की सफाई/खाली करने हेतु IEC गतिविधियां संचालित किये जाने के निर्देश दिये जा चुके है, जिसकी पालना सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चत की जानी है। तथा यह भी सुनिश्चितता की जानी है कि सीवर सफाई मे आवश्यक सुरक्षा उपकरणों एवं प्रशिक्षित कामगारों जिसके पास वैद्य आई.डी. कार्ड हो, से ही मानक संचालन प्रकिया (SoP) के अनुसार आवश्यक होने पर सफाई कार्य करवाया जावें अन्यथा कार्य मशीनों से ही करवाया जावें।

सीवर सफाई में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की ट्रेनिंग करवाई जाने हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल के अनुसार समय–समय पर ट्रेनिंग दिया जाना तथा सीवरेज की शिकायतों के निवारण हेतु 24X7 हैल्प–लाईन(14420) संचालित किये जाने की सुनिश्चिता करावें।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देशो की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जानी है :–

<u>(अ) सीवर सफाई के दौरान सामान्य सावधानियां :–</u>

i. Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2013 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सीवर सफाई के लिये सीवर में प्रवेश की अनुमति नहीं हैं।
ii. बिना सुरक्षा उपकरणों तथा आधुनिक संसाधानों के सीवर सफाई का कार्य नही करवाया जावे।
iii. सुपरवाईजर पर्याप्त मशीनरी एवं सुरक्षा उपकरणों के साथ साईट पर उपस्थिति रहे। सफाई का कार्य उस अवधि में किया जावे जब सीवर लाईन में सीवर की मात्रा न्यूनतम हो।
iv. सुरक्षा संबंधी समस्त उपकरण सुपरवाईजर के पास सीवर की सफाई प्रारम्भ करने से पूर्व में उपलब्ध होने चाहिए।
v. सर्वप्रथम सुपरवाईजर द्वारा सीवर सफाई के लिये पॉइंट का निर्धारण करें, बैरिकेटिंग लगाई जावें।
vi. कार्य प्रारम्भ करने से एक घंटे पूर्व कार्यस्थल के आगे–पीछे के दो–तीन मशीनहॉल खोले जायें ताकि जहरीली गैसें बाहर निकल सकें।
vii. सफाई हेतु उपयुक्त मशीन प्रयोग मे ली जाकर उसका संचालन निर्धारित विधि एवं प्रशिक्षित सुपरवाईजर की देखरेख में किया जाना चाहिए।
viii. सफाई उपरान्त मशीनहॉल को अच्छे तरीके से टाईट बंद किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ix. हानिकारक गैस रिसाव होने की स्थिति में सुरक्षा उपकरण जैसे– Breathing Apparatus, Alarm system, Firstaid इत्यादि की सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(ब) पंजीकृत संस्थाओ से कार्य करवाये जाने पर, स्थानीय निकायो की जिम्मेदारी :–

i. सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु अनुभवी ऐजेंसी नियुक्त करनी चाहिए, जिसके पास इस तरह के कार्य का अनुभव, आवश्यक मशीनरी व अनुभवी व्यक्तियों की उपलब्धता हो।

ii. पंजीकृत ऐजेंसियों की सूची पब्लिक डोमेन/निकायों की वेबसाईट पर उपलब्ध करवानी चाहिए।

iii. सफाई के कार्य हेतु सुपरवाईजर एवं प्रयुक्त मानव संसाधन पूर्ण रूप से उपयुक्त एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। स्थानीय भाषा में आवश्यक जानकारी सुपरवाईजर एवं कार्मिकों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

iv. सुपरवाईजर के साथ में सफाईकर्मियो के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।

v. सफाई मशीनो/उपकरणों की संचालन प्रक्रियाओं की समस्त प्रक्रिया स्थानीय भाषा में स्थानीय निकायों द्वारा तैयार कर रखी जावें और उसकी जानकारी सम्बंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जावे।

vi. सभी सफाई कर्मचारी नियमित रूप से चिकित्सा जांच और प्रशासित टीकाकरण करा रहे है ओर उसके उचित रिकॉर्ड रखेगे। डायबिटीज, हार्ट, मिर्गी व अन्य गंभीर बीमारी से पीडित व्यक्ति को सफाई प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जावे।

vii. एजेंसी द्वारा जिन कर्मचारियों को सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य सौंपा गया है, उनकी जीवन बीमा पॉलिसी कम से कम 10 लाख रू. की हो, जिसके प्रीमियम का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जावे।

viii. स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में चलने वाली सफाई मशीनों/वाहनो के मालिको के पूर्ण सम्पर्क विवरण रखेगा और उनके द्वारा एकत्रित किये गये सभी अवशिष्ट को केवल निर्धारित स्थलों/गहरे मशीनहॉल/सीवेज शोधिकरण सयंत्र पर खाली करना सुनिश्चित करें।

ix. पंजीकृत ऐजेसियो/ठेकेदार/नियोक्ताओ की किसी भी लापरवाही के लिये स्थानीय निकाय ही जिम्मेदार होगें।

(स) स्थानीय निकाय द्वारा सफाई प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने पर :–

i. सीवर सफाई कार्य हेतु कम से कम एक सुपरवाईजर अथवा कार्यक्षेत्र बड़ा होने पर एक से अधिक सुपरवाईजरों को नामित करेगें।

ii. सफाई कार्य मे कार्यरत विभागीय सुपरवाईजरों का नाम पब्लिक डोमेन/निकायों की वेबसाईट पर उपलब्ध करवाऐं एवं सुपरवाईजर का स्थानान्तरण होन पर अन्य सुपरवाईजर की नियुक्ति कर उसका नाम पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करावें।

iii. सुपरवाईजर को आवश्यक मशीनें, उपकरण उपलब्ध करावें एवं समय–समय पर कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

iv. सीवरेज सिस्टम की जीपीएस मैंपिंग की जावें, जिससे कि शिकायत क्षेत्र की पहचान कर कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण किया जा सके एवं किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक मदद् उपलब्ध करवाई जा सकें।

v. विभागीय सुपरवाईजर द्वारा व्यक्ति को सीवर लाईन सफाई में निर्देश देने से पूर्व उसे पूर्ण जोखिमों से अवगत करवाया जावे एवं उससे लिखित में स्वीकृति भी प्राप्त की जावें। सुपरवाईजर के साथ में सफाईकर्मियों के नाम, पते और आवश्यक सूचना होनी चाहिए।

vi. सफाई सम्बंधित शिकायतों को प्राप्त/पंजीकृत करने और उन्हे जल्द से जल्द हल करने के लिए एक complaint redressal system/Helpline number विकसित करे एवं सख्ती से अमल करें।

vii. कोई भी व्यक्ति अपने घर के सेप्टिक टैंक की सफाई अप्रशिक्षित श्रमिक से नहीं करावे, केवल प्रशिक्षित श्रमिक ही सफाई हेतु लगाये जावे। इसे सुनिश्चित करने हेतु प्रचार–प्रसार की व्यवस्था की जावें।

Scanned with CamScanner

निदेशालय द्वारा नगरीय निकायों को बजट घोषणा अन्तर्गत सीवर सफाई हेतु उपलब्ध करवायी एवं निकाय स्तर पर क्रय किये गये सभी मशीन/उपकरण का संधारण की सुनिश्चितता की जाकर सीवर सम्बन्धित शिकायतों का समयबद्ध निवारण किया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे आमजन को असुविधा न हो। सीवर, मैन हॉल, सेप्टिक टैंक एवं पिट की सफाई बिना सुरक्षित उपकरणों के पाये जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 के प्रावधानों व मैन्युअल स्कॅवेन्जर (Prohibition) एक्ट–2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

अतः आप सभी से यह अपेक्षा है, कि उपरोक्त दिशानिर्देश की कठोरता से पालना सुनिश्चित करते हुये पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करवावें। जिससे की प्रदेश में सीवर सफाई एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकें तथा असमयक होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

No.F.55( )CE/DLB/SBM/Sewer_Cleaning_2023/ 37391 – 404 Date: 26/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ट उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, संभागीय आयुक्त, समस्त।
5. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
7. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
8. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
9. आयुक्त, नगर निगम/नगर परिषद, जिला मुख्यालय को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नियमित बैठक आयोजित करवाकर उसका रिकार्ड संधारित करावें एवं एक प्रति निदेशालय को भिजवायें।
10. मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग।
11. निकाय स्तर पर गठित RSU के अधिकारियों/कर्मचारियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना एवं नियमित बैठक आयोजित कर उसका रिकार्ड संधारित करावें एवं एक प्रति निदेशालय को भिजवायें।
12. अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता, नगर निगम/परिषद/पालिका (समस्त) राजस्थान।
13. मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त), नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान।
14. सुरक्षित पत्रावली।
15. Programmer, with the request to upload on website

मुख्य अभियन्ता

EE DLB

Document certified by Hridesh Kumar Sharma <hridesh_05@yahoo.com>.
Digitally Signed by null
Designation : Director
Date :26-05-2023 05:50:18

Scanned with CamScanner